न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
GCMS NO : 2018/00012

अनवान

1. श्री खेता पिता हीरा डांगी, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री कचरू पिता नानजी डांगी, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
3. श्री लालू पिता मावजी डांगी, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. मृतक श्री देवराम पिता कचरू ब्राह्मण के बजायः–
   1/1 श्री दीपक पिता देवराम ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
   1/2 दीपिका पुत्री देवराम ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
   1/3 श्रीमती सुशीला बेवा देवराम ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रूपली पिता कचरू ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
3. श्री शंकर पिता कचरू ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. मृतक श्री भीम पिता कचरू ब्राह्मण के बजायः–
   4/1 श्रीमती सविता बेवा भीम ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
5. श्री दिनेश पिता कचरू ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती वालीबाई बेवा कचरू ब्राह्मण, निवासी–कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 4/1, 6

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** *निर्णय* ***

दिनांक 29-01-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कल्याणकला, तहसील सलुम्बर मे साबिक आराजी संख्या 72/1 [illegible] बिस्वा जमीन स्थित है जिसके हाल आराजी नंबर 109 भूमि का आवंटन [illegible] के पूर्व [illegible] को वर्ष 1989 मे किया गया था, जिस पर प्रार्थीगण का आवंटन से पूर्व कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन के [illegible] लगती हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की जमीन है। वक्त आवंटन विपक्षीगण का पूर्वाधिकारी स्व. कचरू भूमिहीन काश्तकार नही था तथा उसके पास 11 बीघा से अधिक जमीन थी एवं वह आवंटन कराने का अधिकारी नही था। वक्त आवंटन कोरम मे चेयरमेन के अलावा दो ही सदस्य थे एवं आवंटन कमेटी का कोरम पूरा न होते हुये भी विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को कथित आवंटन किया गया है। कथित आवंटन सड़क सीमा के अन्दर किया गया हैं, जबकि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फीट तक कोई आवंटन नही किया जा सकता है तथा यह पट्टी के रूप मे किया गया आवंटन सड़क सीमा मे होने से स्पष्ट रूप से वोइड है। विपक्षीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही होने से आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है। वक्त आवंटन उक्त भूमि अनओक्यूपाईड़ नही थी। विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से कराया गया है। आवंटन के उपरान्त विपक्षीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी को कभी कब्जा सुपुर्द नही किया गया है एवं कब्जा काश्त न करने से आज भी विपक्षीगण गैर खातेदार है। आवंटन से पूर्व न तो उद्घोषणा जारी हुई और न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल हुई है। कथित आवंटन मे आवंटन नियम 4, 5, 6, 11 या 13ए किसी भी पालना नही की गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किया गया कथित आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 2, 4/1 एवं 6 की ओर से श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब पेश किया कि हाल आराजी संख्या 109 का क्षेत्रफल 0.0100 हेक्टेयर है एवं 1989 मे उक्त भूमि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री कचरू को आवंटित हुई हैं। आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी कचरू का पुराना कब्जा होने से ही राज्य सरकार द्वारा उसे नियमित किया गया एवं उसकी मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम उत्तराधिकारी के रूप मे चली आ रही है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की भूमि से मिली हुई नही है एवं प्रार्थीगण द्वारा मिली हुई आराजी का आराजी नंबर एवं क्षेत्रफल इत्यादि अंकित नही किया है। विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी स्व. कचरू द्वारा प्रस्तुत उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 2 स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसके पास 14 बीघा 13 बिस्वा जमीन हैं। स्व. कचरू द्वारा उसके पास 2 बिस्वा भूमि जिस पर कई वर्षो से उसका कब्जा था, उसे नियमित कराया है। इस छोटे से भू भाग पर काश्त करना संभव नहीं होने से इस कारण यहां केवल घास, लकड़िया, गाय बांधने, गोबर रखने का कार्य किया जा रहा हैं। उक्त भूमि की किस्म पड़त प्रथम के रूप मे दर्ज है अर्थात यह कभी भी रास्ते के रूप मे दर्ज नहीं रही हैं। यह भूमि मुख्य रास्ते से 100फीट से भी अधिक दूरी पर स्थित है। कथित भूमि वर्ष 1989 से पूर्व ही स्व. कचरू द्वारा ओक्युपाईड़ की गई थी। विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा कोई मिसरिप्रजेन्टेशन उक्त आवंटन मे नहीं किया हैं। मात्र तकनीकी आधारो पर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। मयाद के बिंदु पर भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा दुर्भावनावश प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

किया गया उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें। शेष रेस्पोडेन्ट्स को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश न करने से शेष रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से मौका रिपोर्ट प्रात की गयी। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 391 दिनांक 06.01.2020 द्वारा प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा कल्याणकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर की विवादित हाल आराजी संख्या 109 रकबा 0.0100 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी के चारो ओर कच्चे पत्थरो की दिवार बनी हुई हैं तथा परकोटे मे खुली लकड़िया पड़ी हुई हैं। मौतबिरान अनुसार पत्थरों की दिवार विपक्षीगण द्वारा बनायी गई है एवं परकोटे के अंदर लकड़ियां भी इन्ही की हैं। तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 451/1989 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थीगण के अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2, 4/1 एवं 6 के अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, वक्त आवंटन स्व. कचरू का भूमिहीन न होना, आवंटन का कोरम अपूर्ण होना, सड़क सीमा मे नियम विरूद्ध आवंटन होना, आवंटन शर्तो की अवहेलना होना, वक्त आवंटन भूमि अनओक्युपाईड़ न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना, विपक्षीगण का गैर खातेदार होना आदि आधारो पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

- कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का नियम 4(4) एवं च
- आर.आर.डी 2005 पृष्ठ 629
- आर.बी.जे. 2006 पृष्ठ 272
- आर.आर.डी. 1977 एन.यु.सी. पृष्ठ 37
- आर.आर.टी. 2009(1) पृष्ठ 113
- आर.बी.जे. 2006 पृष्ठ 168
- आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 1
- आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ 120
- आर.आर.टी. 2007(2) पृष्ठ 148

विपक्षी संख्या 2, 4/1, 6 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी स्व. कचरू को वर्ष 1989 मे भूमि आवंटन होना एवं मृत्यु उपरान्त भूमि विपक्षीगण के नाम होना, प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के नाम आवंटित भूमि का अंकन आवेदन पत्र मे होना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

आवंटित भाग पर काश्त करना संभव न होना, विपक्षीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होना, आवंटित भूमि रास्ते की न होना, 1989 से पूर्व ही उक्त भूमि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा ओक्यूपाईड करना, आवंटन मे कोई मिसरिप्रजन्टेशन न होना आदि आधारो पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष मे किये गये आवंटन को यथावत रखे जाने की मांग की एवं अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

- आर.आर.टी 2008 (1) पृष्ठ 610
- आर.आर.टी 2016 (1) पृष्ठ 341
- आर.आर.टी 2016 (1) पृष्ठ 82
- आर.आर.टी 2018 (2) पृष्ठ 1007
- आर.आर.टी 2018 (1) पृष्ठ 299
- आर.आर.टी 2017 (2) पृष्ठ 878
- आर.आर.टी 2016 (2) पृष्ठ 756
- आर.आर.टी 2007 (2) पृष्ठ 1430
- आर.आर.टी 2007 (2) पृष्ठ 1194
- आर.आर.टी 2003 (2) पृष्ठ 921
- आर.आर.टी 2012 (1) पृष्ठ 652
- आर.आर.टी 2017 (2) पृष्ठ 1373

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 2, 4/1 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 2, 4/1 एवं 6 के जवाब, मौका रिपोर्ट, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली संख्या 451/1989 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा कल्याणकला, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 72 मीन रकबा 2 बिस्वा किस्म पड़त द्वितीय के आवंटन हेतु विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय श्री कचरू द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय श्री कचरू को किया गया है। आवंटन हेतु आवेदन पत्र मे आवंटी के नाम पूर्व से 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि होने का उल्लेख है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुरानी जमाबंदी की नकल के अवलोकन से उनका यह कथन सही प्रतीत होता है कि विपक्षीगण के पूर्व पुरूष स्व. श्री कचरा पिता सवराम ब्राह्मण के नाम 35 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज थी एवं जमाबंदी के दाहिने ओर अंकित नोट अनुसार उक्त भूमि मे से 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 484 दिनांक 31.07.1987 श्री मोतीराम पिता सवराम ब्राह्मण के नाम दर्ज हो[illegible]कृति हुई है, जो उसका भाई हैं। इस प्रकार भूमिहीन की परिभाषा मे आने [illegible] उक्त भूमि[illegible] के नाम स्थानान्तरित किये जाने का प्रयास करने संबंधी तथ्य को अस्वी[illegible]कता हैं। आवंटन सलाहकार समिति मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

कोरम जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, उनका पदनाम अथवा नाम कहीं भी अंकित नही है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है वक्त आवंटन कोरम मे कौन सदस्य सम्मिलित थे। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस विपक्षीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी स्व. श्री कचरू के नाम पर जारी नहीं होकर श्री मोतीराम पिता शिवराम के नाम से जारी है। प्रकरण मे उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्राम की आबादी के समीप/साथ लगी हुई है एवं कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 के अधीन उक्त भूमि को आवंटन योग्य नहीं माना जा सकता हैं। आवंटन उपरान्त भूमि पर काश्त योग्य न बनाना विपक्षी संख्या 2, 4/1, 6 के अधिवक्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया हैं एवं वर्तमान मे विपक्षीगण का राजस्व अभिलेख मे गैर खातेदार के रूप मे अंकन है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। यह कथन सही है कि विपक्षीगण को उक्त आवंटन त्रुटिपूर्ण हुआ है एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना नहीं हुई है, किन्तु प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारी उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व काबिज हो ऐसा तथ्य भी प्रकरण मे सिद्ध नहीं होता हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री कचरू के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मिसल संख्या 451/1989 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज कर विपक्षीगण को बेदखल करने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested